



70

यो तत्त्व श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डुत ग्रालियर संभाग भीषण

ੴ ਰਾਮ ਤਥ ਮਾਡਲ ਛਾਡਪੀਠ ਭੀਪਾਲ ੫੩੦੯੦

पुनरीक्षण आवेदन क्रमांक ---/2017

ਨਕੀਸ ਦੋਂ ਪੁੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਹਮਦ ਦੋਂ ਤੱਥ 50 ਵਰ්਷,

શિવાસી/કૃષ્ણ ગ્રામ મૂરેલયુર્દ તહનીલ વ જિલા
રાધકેન (મોપ્રો) - - - - - પુનરીક્ષણકત

fug.

गलावसिंह भाट पुत्र श्री भीका भाट उम्र 50 वर्ष

निवासी/कृषक ग्राम मरेलखुर्द तहसील व जिला रायगढ़

हाल- ताजपुर महल रोड अंबिका कालोनी के पास रायसेन

तहसील व जिला रायसेन ४००५० - - - उत्तरदाता

प्रवारीद्वारा आयोजित अन्तर्गत धारा 50 प्रयोगोंमें संहिता 1959

प्रात्यक्षीय प्रहोदय,

प्रवर्तीगति की ओर से विषय विवेद :-

उत्तरदाता गलावति^१ हारा एक आवेदन संबंधित राजस्व

ਪਿੰਡੀਅਕ ਬੁਤ ਸਾਂਥੇਤ ਤਵਚੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਰਾਯਕੌਨ ਕੋਂ ਅਪਣੀ ਸੜਧ ਦੀ ਮੂਲੀ

स्थित भवि ग्राम परेलहुद्द तहसील व जिला रायगढ़ का सीमांचल जराई

हेत आवेदन दिया जो कि प्र०५० ३०/३१ - १२

12016-17

पंजीयन बोर्ड क्रियां 18-5-17 को सीमांकन हेतु राजस्व विभाग

मात्राल अधिक तदनील व चिला इधरमें हारा आदेश पारित किया गया

एक ग्रामीण के पाला में दिनांक 28-5-17 को सीयाँकुन व सीयाँकुन

तो उत्तरीभूमि द्वारा प्रतिष्ठित व्यापालय में निम्न तथ्यों एवं अन्य

पर अपारित द्वेष का प्रतीक्षण प्रस्तुत किया गा रहा ॥

प्रवासीक्षण के तथ्य

हास्तीरदाता गलतफ़िह दारा एक आवेदन संवैधित राज्यहै।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/2528

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-7-2018	<p>उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व निरीक्षक, सांचेत तहसील व जिला रायसेन द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/अ-12/2016-17 दर्ज कर दिनांक 18-5-17 को सीमांकन के आदेश दिये गये एवं दिनांक 28-5-17 को सीमांकन कार्यवाही की पुष्टि की गई, जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों को सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करना था, परन्तु उनके द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लेखित आधारों एवं अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है। निगरानी मेमों में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि राजस्व निरीक्षक के अभिलेख से स्पष्ट है कि सीमांकन हेतु दिनांक 27-5-18 नियत की गई थी, किन्तु इस सम्बन्ध में आवेदक एवं पड़ोसी कृषकों को सूचना पत्र की तामील नहीं कराई गई है और दिनांक 27-5-18 को सीमांकन नहीं कर, दिनांक 28-5-18 बिना सूचना दिये उनके पीछे पीछे सीमांकन किया गया है। यह आधार भी लिया गया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 129 के प्रावधानों के विपरीत सीमांकन किया गया है, जो कि विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।</p> <p>3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेखित आधारों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। राजस्व निरीक्षक के प्रकरण में सूचना पत्र संलग्न है, जिसमें आवेदक द्वारा सूचना पत्र लेने से इंकार किये जाने का उल्लेख है। इस प्रकार राजस्व निरीक्षक द्वारा समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दी जाकर, स्थायी सीमा चिन्हों से विधिवत सीमांकन किया जाकर पंचनामा बनाया गया है, जिस पर उपस्थित पंचों के हस्ताक्षर है। अतः इस सम्बन्ध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है। दर्शित परिस्थिति राजस्व निरीक्षक का आदेश स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p>  	